न्यायालय माध्यस्थम (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : **115 / 2020**

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1– विजयदान पुत्र गोविन्ददान निवासी ग्राम ढांढणिया सांसण, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।		1– भारत संघ मार्फत मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर। 2– परियोजना निदेशक , प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, 148 उम्मेद हेरिटेज, जोधपुर। 3– सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर 4– गणेशदान पुत्र विशनदान जाति चारण निवासी गांव ढांढणिया सांसण, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956,
(प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 0.2604 हेक्टर)

उपस्थिति

दिनांक : **18.08.2022**

1– श्री दयाराम चौधरी अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2– श्री लादुराम पूनीया अधिवक्ता(अप्रार्थीपक्ष–2)
3– श्री श्यामसिंह चौहान अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष–4)
4– अप्रार्थीपक्ष 1 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश कमांकः NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114(जोधपुर–पोकरण खण्ड) के जोधपुर जिले में अन्तर्गत किमी. 11.000 से किमी 149.461 तक के भूखण्ड के निर्माण हेतु (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने इत्यादि) ग्राम ढांढणिया सांसण तहसील बालेसर जिला जोधपुर स्थित विभिन्न खसरों की भूमि के साथ खसरा नम्बर 250 रकबा 0.02604 हेक्टर भूमि को भारत सरकार के द्वारा अवाप्त करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 12.01.2015 एवं 3(डी) की अधिसूचना दिनांक 12.10.15 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया एवं स्थानीय समाचार पत्र यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में प्रकाशन करवाया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आंमत्रित किये गये। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीपक्ष ने अपनी खातेदारी की भूमि एवं उसमें बने निर्मित मकान व पानी का टांका का मुआवजा राशि का भुगतान भैरूदान, चुतरदान, विजयदान, दलपतदान पुत्रान गोविन्ददान को करने का क्लेम किया गया तथा अप्रार्थी गणेशदान पुत्र लक्ष्मणदान द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् खसरा नम्बर 249 में कमरा व पानी का टांका बना बताते हुए संरचना का मुआवजा राशि स्वीकृत करने का पेश किया गया। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा दिनांक 27.12.2016 को भूमि पर संरचनाओं का प्रथम अवॉर्ड पारित किया गया तथा दिनांक 21.02.2017 को संशोधित अवॉर्ड संरचनाओं का पारित किया गया जिसमें अवॉर्ड कमांक 81 व 82 पर ख.नं. 249 में अंकित संरचना का मुआवजा निर्धारण रूपदान, हिंगलाजदान पि. श्रेणीदान, प्रेमकंवर पत्नी श्रेणीदान, गणेशदान पि. लक्ष्मणदान को देने का पारित करने से व्यथित होकर यह आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (115/2020) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी–1 का नोटिस रजिस्टर्ड भिजवाया गया जिसकी रसीदात एवं डिलीवर्ड होने की ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। अप्रार्थीपक्ष–2 की ओर से अधिवक्ता श्री लादुराम पूनीया व अप्रार्थीपक्ष–4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह चौहान व अन्य ने

उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष–1 व अप्रार्थीपक्ष–3 को नोटिस तामील होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थीपक्ष–4 की ओर से दिनांक 24.11.20 को प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब पेश हुआ, जो रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रारम्भिक आप्तियां में बतलाया कि ग्राम ढाढणिया सांसण के ख.नं. 249 में अप्रार्थी–4 के हिस्से में 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि आतीी है तथा उक्त खसरा 249 की भूमि में से 0.2483 हेक्टर भूमि नेशनल हाई वे के लिये अवाप्त करने की अधिसूचना जारी हुई। ख.नं. 249 में गणेशराम वगैरा के हिस्से में आई भूमि पर कमरा व पानी का टांका स्थित है जिस पर मुआवजा राशि भी जारी कर दी है इस प्रकार ख.नं. 250 से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। समय सीमा गुजरने बाद मियाद झूठी आपत्ति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 3 बी के अनुसार धारा 3ए का प्रकाशन के उपरान्त सर्वे करने का अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर नाप चौक कर व मेजरमेन्ट किया जाता है एवं धारा 3(6) के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 30 दिन के अन्दर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करें परन्तु उक्त नोटिफिकेशन में किसी भी व्यक्ति द्वारा एवं विजयदान द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, इसी आधार पर प्रकरण खारिज करने की इस्तदुआ की। आगे यह भी कहा कि नोटिफिकेशन धारा 3डी का दिनांक 12.10.2015 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों मे किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2016 को अवॉर्ड पारित किया गया जब तक समय सीमा में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रकरण खारिज योग्य हे।

प्रस्तुत जबाब में यह भी बतलाया कि Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 भी नेशनल हाईवे एक्ट 1956 पर लागू होता है अतः धारा 3(जी) में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0–4 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका सं0 5714/2016 दायर कर रखी है जो विचाराधीन है उक्त याचिका में नेशनल हाईवे ओथरिटी ने जबाब पेश किया जिसके अनुसार भवन एवं टांका अप्रार्थी–4 के हिस्से में आई जमीन ख.नं. 249 में दर्शाया गया है। मौके पर सड़क का निर्माण कार्य कर चुके थे उस वक्त प्रार्थी व विशनदान द्वारा कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की। संशोधित एवार्ड जिस आधार पर किया जा रहा है जिसका नाप चौक व पैमाईश अप्रार्थी–चार की अनुपस्थिति में सेवानिवृत तहसीलदार से करवाई है जो कि गलत है। जबाब के अन्त में ख.नं. 249 में स्थित पानी का टांका व कमरा की पारित अवॉर्ड राशि अप्रार्थी–4 को दिलाने एवं प्रार्थी का प्रकरण निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीपक्ष–2 (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर) की ओर से दिनांक 27.01.2022 को प्रारम्भिक आपत्ति मय जबाब प्रस्तुत हुआ। प्रारम्भिक आपत्ति में बतलाया कि ग्राम ढाढणिया सांसण के

अवाप्त भूमि ख.नं. 250 रकबा 0.2604 हेक्टर के प्रार्थी विजयदान के अलावा भैरूदान, चुतरदान, दलदान भी अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड एवं अवॉर्ड में दर्ज है जिनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया, इस कारण रेफरेंस याचिका विधिबाधित होने एवं आवश्यक पक्षकार मुकदमा के अभाव में चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य बताया गया। जबाब में प्रार्थना पत्र के पद सं0 2, 3, 4, 5 में वर्णित रिकॉर्डेड तथ्य सही होना कहा। पद सं0–6 में वर्णित विवादित संरचना कमरा व पानी का टांका बाबत् पारित अवॉर्ड राशि तहसीलदार बालेसर की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार अवॉर्ड राशि का भुगतान किये जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं होना बताया। पद सं0–7 के वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार होना कहा तथा यह गलत है कि प्रार्थी मुआवजा राशि जारी करने की दिनांक से अधिनियम 2013 के अनुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि मुआवजा राशि समयावधि में सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष जमा करवाई गई है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हुए:–

1– दस्तावेज फोटो प्रति कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, उम्मेद हेरिटेज जोधपुर को लिखा पत्र कमांक:भूमि अवाप्ति/एन.एच.–114/2016/1161 दिनांक 26.09.2016

2– दस्तावेज फोटो प्रति संशोधित अवॉर्ड आदेश दिनांक 26.06.2016 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

3– दस्तावेज प्रमाणित प्रति कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर द्वारा तहसीलदार बालेसर को लिखा पत्र कमांक:भूमि अवाप्ति/एन.एच.–114/2017/04 दिनांक 01.01.2018

4– दस्तावेज प्रमाणित प्रति तहसीलदार बालेसर द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर को लिखा पत्र कमांक/भू.अ./2018/668 दिनांक 30.05.2018 मय निरीक्षक भू.अ. आगोलाई का पत्र व मौका जांच रिपोर्ट

5– दस्तावेज प्रमाणित प्रति कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, उम्मेद हेरिटेज जोधपुर द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर को लिखा पत्र लिखा पत्र कमांक:16005/5/2018/3(जी)–जोधपुर/1989 दिनांक 28.08.2018

6– दस्तावेज प्रमाणित प्रति कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर द्वारा श्री भैरूदान, चुतरदान, विजयदान, विशनदान, दलदान पिता श्री गोविन्ददान को लिखा पत्र क्रमांकःभूमि अवाप्ति/एन.एच. –114/2019/1044–37 दिनांक 03.09.2019

7– दस्तावेज प्रमाणित प्रति संशोधित अवॉर्ड आदेश दिनांक 26.06.2016 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए।

प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 23.03.2022 एवं अप्रार्थी गणेशदान की ओर से दिनांक 27.04.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत हुई जो सामिल पत्रावली है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में कहा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सही तथ्यों पर विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थी सं0–4 गणेशदान ने बेबुनियाद एवं गलत तथ्यों को दर्शाते हुए जबाब व लिखित बहस पेश की जो मान्य नहीं है। अप्रार्थी–2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उल्लेखित अवाप्त भूमि ख.नं. 250 रकबा 0.2604 हेक्टर में खातेदार विजयदान के अलावा भेरूदान, चुतरदान, दलदान पुत्रान गोविन्ददान दर्ज जरूर है परन्तु उपरोक्त आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि उपरोक्त को मुआवजा राशि विजयदान प्रार्थी को प्राप्त करने से कोई आपत्ति नहीं है। बहस में आगे कहा कि प्रकरण में विवाद पूर्व में त्रुटिवश मुआवजा राशि खसरा नम्बर 249 में स्वीकृत की गई, परन्तु प्रार्थी के भाई किशनदान ने एक आपत्ति कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) में प्रस्तुत की गई जिस पर बाद जांच संरचना कमरा व पानी का टांका खसरा नम्बर 250 में निर्मित पाया गया इसलिये उक्त संरचना मुआवजा राशि खसरा नम्बर 250 के खातेदार भैरूदान, चुतरदान, विजयदान, दलपतदान पुत्रान गोविन्ददान को प्राप्त करने का अधिकारी होने से रिपोर्ट उक्त माफिक तहसीलदार बालेसर से प्राप्त हुई।

अप्रार्थी–गणेशदान की ओर से प्रस्तुत बहस में बतलाया कि उसकी भूमि ग्राम ढाढणिया सांसण में नेशनल हाईवे पर आई हुई थी जो अवाप्त की गई जिस भूमि पर बने संरचना कमरा व पानी का टांका के मुआवजा के लिए अलग से अवॉर्ड जारी होने एवं राशि मिलने के पूर्व प्रार्थी विजयदान ने आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत की, जिस पर उक्त प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष भेजा गया। बहस में आगे कहा कि अप्रार्थी गणेशदान की भूमि पर बने संरचना कमरा व पानी का टांका का मुआवजा का अवॉर्ड पारित होने के बाद प्रार्थी विजयदान के मन में लालच आने से व आपस में मनमुटाव होने के कारण अप्रार्थी को राशि प्राप्त होने से पूर्व झूठी आपत्ति दर्ज करवाई है जबकि उक्त संरचना मकान व पानी का टांका का अवॉर्ड अप्रार्थी–4 के पक्ष में जारी हुआ है। लिखित

बहस में यह भी बतलाया कि नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 की धारा 3–G सपठित धारा 3-H Clause–4 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार प्रकरण को सिविल न्यायालय में सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है इसी आधार पर उक्त प्रकरण को सिविल न्यायालय में भेजे जाने की इस्तदुआ की। अन्त में नियमानुसार व कानून संरचना कमरा व पानी का टांका का मुआवजा अप्रार्थी गणेशदान को दिलावे व प्रकरण को सिविल न्यायालय में भी भेजने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहसं पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1954 की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार– The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;

(c) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त बिन्दु a सें d बिन्दु संबंधित विवाद नही होकर कथित संरचना एक कमरा एव पानी का टांका ख.नं. 249 में निर्माण किया हुआ या ख.नं. 250 में है, उसका तय किया गया मुआवजा राशि का भुगतान करने का विवाद है। संरचना का प्रथम अवॉर्ड दिनांक 27.12.2016 एवं संशोधन अवॉर्ड दिनांक 21.02.2017 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा मुआवजा निर्धारण किया गया उस समय तक प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हलका पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक आगोलाई द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं तहसीलदार बालेसर के निर्देशों की अनुपालना में ख.नं. 249 एवं ख.नं. 250 का नाप चौप कर मौका जांच रिपोर्ट तैयार की उसमें कमरा व पानी का टांका का निर्माण ख.नं. 250 में होना बताया गया, परन्तु अप्रार्थी–4 का कथन है कि उक्त रिपोर्ट उसकी अनुपस्थिति में तैयार की है। अप्रार्थी सं0–4 द्वारा अपने जबाब में भी बतलाया कि माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका सं0 5714/2016 विचाराधीन है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जबाब पेश किया जिसके अनुसार भवन एवं टांका अप्रार्थी–4 के हिस्से में आई जमीन ख.नं. 249 में दर्शाया गया है। मौके पर सड़क का निर्माण कार्य कर चुके थे उस वक्त प्रार्थी व विशनदान द्वारा कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की। अप्रार्थीपक्ष–4 द्वारा प्रस्तुत उक्त जबाब के प्रत्युत्तर में प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई खण्डन/रिजोईंडर प्रस्तुत नहीं हुआ। पूर्व में सक्षम प्राधिकारी ने संरचना एक कमरा व पानी का टांका का निर्माण खसरा नम्बर 249 में बताया गया तथा मुआवजा राशि तय की गई, स्पष्ट नहीं किया गया अतः संबंधित हितबद्ध व्यक्ति की अनुपस्थित में कथित मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीपक्ष को आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र में अनुतोष देना उचित नहीं समझते है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3H(4) में भी स्पष्ट किया कि "If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part there of or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the decision of the principal civil court of original jurisdiction within the limits of whose jurisdiction the land is situated."

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य है जो अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।